कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक 170 /33–1/दिनांक, हमीरपुर, जुलाई 18 ,2023.

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0 नि0 वि0
कानपुर।

विषयः–विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर–राठ–गरौठा–गुरसराय–झांसी राज्य राजमार्ग–42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौठा (झांसी जनपद) (मिसिंग लिंक–किमी 74.550 से किमी 110.360) तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे0 आरक्षित एवं 1.0684 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road /117342/2020.

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/15/2023/एफ0सी0/226 दिनांक 12.07.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–105/11–सी–FP/UP/Road/117342/2020/ दिनांक 13.07.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या मय अभिलेख 5 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त शर्तो में से शर्त संख्या–03 के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि के एवज में ग्राम–कुछेछा में उपलब्ध करायी गयी 1.670 हे0 गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, सर्वे सीमाकन तथा बाउण्ड्री पिलर निर्माण कार्य तथा प्रभावित होने वाली संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि (रौरो वन ब्लाक) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु0 3730065.00 रू0 (सैतीस लाख तीस हजार पैसठ रू0 मात्र) तथा शर्त संख्या–06 के अन्तर्गत कुल प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि 5.1364 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि मु0 6310530.00 रू0 (तिरसठ लाख दस हजार पॉच सौ तीस रू0 मात्र) तथा शर्त संख्या–09 के अन्तर्गत रोड साइड पर वृक्षारोपण की धनराशि–20956496.00 (दो करोड नौ लाख छप्पन हजार चार सौ छियानवे रू0 मात्र) ई–चालान द्वारा एडाक कैम्पा नई दिल्ली के खाते में जमा कराकर चालान की मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। शर्त संख्या–03, 06 व 09 का आगणन निम्न प्रकार हैः–

शर्त संख्या–03	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि–	3661965.00
	सर्वे सीमांकन तथा बाउण्ड्री पिलर निर्माण कार्य की धनराशि–	68100.00
शर्त संख्या–06	शुद्ध वर्तमान मूल्य की कुल धनराशि–	6310530.00
शर्त संख्या–09	रोड साइड पर ब्रिकगार्ड में वृक्षारोपण की धनराशि–	20956496.00
जमा करने हेतु कुल धनराशि (03+06+09 का योग)		**30997091.00**

(कुल धनराशि मु0 तीन करोड़ नौ लाख सत्तानवे हजार इक्यानवे रू0 मात्र)

उपरोक्त के अतिरिक्त वन निगम द्वारा वृक्षों के कटान आदि की जो भी धनराशि की मॉग की जायेगी वह आप द्वारा वन निगम को उपलब्ध करानी होगी।

जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा जारी सर्किल रेट के अनुसार लीज रेंट की धनराशि जमा करने हेतु अलग से पत्र निर्गत कर अवगत करा दिया जायेंगा।

<u>संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

पृष्ठांकन संख्या............................/अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0 बाँदा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर।

(उमेश चन्द राय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 546 /15–1 दिनांक, झांसी, अगस्त 10/8/2023

सेवा में,

श्री राकेश वर्मा,
अधीक्षण अभियन्ता,
विश्व बैंक परियोजना वृत्त,
लो0नि0वि0, कानपुर ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषयः– विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर–राठ–गरौठा–गुरसरांय झांसी राज्य राजमार्ग 42 के दो लेन मिसिंग लिंक रोड निर्माण में जनपद झांसी की 13.049 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधित 2127 वृक्ष एवं हमीरपुर जनपद की 5.1360 हे0 वनभूमि बाधित 327 वृक्ष के पातन अर्थात कुल 18.1854 हे0 वनभूमि एवं 2454 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–8B/UP/06/15/2023/FC/226, दि0 12.07.23 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–105/11C/FP/UP/Road/117342/2020 दि0 13.07.23

महोदय,

उपरोक्त सैद्वान्तिक पत्र के कम में विषयांकित प्रस्ताव में संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार से कतिपय शर्तो के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की है। सैद्वान्तिक शर्तो की समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या/वचनवद्वता अभिलेख 05–05 प्रतियों में शील्ड/मोहर व हस्ताक्षर सहित शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

शर्त सं0 02 के अनुपालन में अंकित 13.049 हे0 अथवा 13.10 हे0 में रैपुरा गैर वनभूमि व क्षतिपूरक भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 2438216.00 (चौबीस लाख अड़तीस हजार दो सौ सोलह रू0 मात्र), शर्त सं0 3 के अनुपालन में 13.049 हे0 राठ–गरौठा मार्ग नवनिर्मित मार्ग पर दोनो पटरियों पर बिकगार्ड वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु मु0 9382360.00 (तिरानवे लाख ब्यासी हजार तीन सौ रू0), शर्त सं0 6 के अनुपालन में झांसी वन प्रभाग की प्रभावित आरक्षित वनभूमि 13.049 हे0 की एन0पी0वी0 की आगणित धनराशि 12498072.00 (एक करोड़ चौबीस लाख अट्ठावने हजार बहात्तर रू0 मात्र), एवं शर्त सं0 9 के अनुपालन में 13.049 हे0 रैपुरा में प्राप्त गैर वनभूमि पर सीमांकन हेतु 30 सीमा स्तम्भों से सीमांकन कार्य हेतु मु0 56000.00 (छप्पन हजार रू0 मात्र) इस प्रकार शर्त सं0 2, 3, 6 व 9 की कुल धनराशि 24374648.00 (दो करोड़ तैतालीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ अड़तालीस रू0 मात्र) कैम्पा नई दिल्ली के खातें में ई–पोर्टल से प्राप्त चालान के माध्यम से जमा कर रसीद की पांच (रंगीन फोटो कॉपी) प्रतियों में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे विषयगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके ।

संलग्नक :– सैद्वान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति ।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी